UPBJ010019112020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार सिंह III-UP06076

सत्र वाद सं0–494/2020

उत्तर प्रदेश राज्य...**अभियोजन**

बनाम

1–मुस्तफा पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम मिलक पूरनपुर, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।
2–शन्नू उर्फ शाहनवाज पुत्र मौ0 आकिल, निवासी ग्राम मिलक पूरनपुर, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।
3–सुहेल पुत्र नफीस अहमद, निवासी ग्राम मिलक पूरनपुर थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।
4–फरमान पुत्र नसीम अहमद, निवासी ग्राम मिलक पूरनपुर थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।
5–शाहनवाज पुत्र अफजाल अहमद, निवासी मौ0 सतियान कस्बा बढापुर थाना बढापुर, जनपद बिजनौर। ....**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–567/2019
धारा–147,148,323/34,336/34,504,506 भा0दं0सं0 व
3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी. (पी0ए0) एक्ट
थाना–धामपुर, जिला बिजनौर।

निर्णय

1– अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज, सुहेल, फरमान व शाहनवाज का विचारण पुलिस थाना धामपुर, जिला बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 567/2019 में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,148,323,336,504,506,34 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी. (पी0ए0) एक्ट के आधार पर किया गया।

अभियोजन कथानक

2– संक्षेप में वाद के तथ्य निम्न प्रकार हैं–

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 16:37:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा अंकुल के द्वारा दिनांक 13-11-2019 को अभियुक्तगण मुस्तफा, कय्यूम, आकिल, जिशान, शन्नू, फैजान, सुहेल, फरमान, शाहनवाज व कुछ अन्य लोगो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह ग्राम मिलक पूरनपुर थाना धामपुर जिला बिजनौर का रहने वाला है। दिनांक 12-11-2019 को वह अपने दोस्त सुहैल व शाहे आलम निवासी जित्तनपुर थाना धामपुर जिला बिजनौर के साथ नगीना से आ रहा था। उसके घर के मोड पर शन्नू पुत्र आकिल, फरमान पुत्र नसीम खडे थे, जिनसे आपस में टक्कर हो गयी। इस बात को लेकर आपस में दोपहर में गाली गलौच हो गयी थी। मौहल्ले के लोगो ने बीच बचाव कर दिया था। इसकी सूचना उन्होंने कहीं नही दी थी। समय करीब 09:30 बजे रात्रि में मुस्तफा पुत्र अब्दुल सलाम, कय्यूम पुत्र अब्दुल सलाम, आकिल पुत्र अब्दुल सलाम, जिशान पुत्र कय्यूम, शन्नु पुत्र आकिल, फैजान पुत्र आकिल, सुहेल पुत्र नफीस, फरमान पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम मिलक पूरनपुर, थाना धामपुर, जिला बिजनौर एवं शाहनवाज पुत्र अफजाल निवासी मौ0 सत्यान, थाना बढापुर, जिला बिजनौर तथा कुछ अन्य लोगो ने उसे, उसके भाई कपिल एवं प्रेमवती के साथ एक राय होकर घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डन्डो से हमला कर मारपीट कर दी तथा उनके घरों पर पथराव किया, जिससे उन लोगों एवं प्रेमवती को काफी चोटे आयी हैं। इस घटना को उसके गांव के ही इन्द्र पुत्र तुलसी, दिनेश पुत्र गजेन्द्र तथा सत्यवीर पुत्र बाबू ने देखा तथा उन्हें बचाया। उनके शोर मचाने पर अन्य लोगो को आता देख मुल्जिमान उपरोक्त गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

विवेचना

3- दौरान विवेचना पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के बयान अंकित कर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये गये तथा धारा 452 भा0दं0सं0 का लोप किया गया। अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज, सुहेल, फरमान व शाहनवाज के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 02/2020 **प्रदर्श क-8** अन्तर्गत धारा 147,148,323,336,504,506,34 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी.(पी0ए0) एक्ट

न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण आकिल, कय्यूम, जीशान व फैजान के नाम अपराध से पृथक किये गये।

आरोप

4– अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज, सुहेल, फरमान व शाहनवाज के विरूद्ध दिनांक 06–05–2022 को धारा 147, 148, 323/34, 336/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन साक्ष्य

5– अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया है, जो निम्न प्रकार हैं–

6– **पी0डब्लू0–1, अंकुल कुमार वादी मुकदमा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''मैं अनपढ हूं, केवल नाम लिखना जानता हूं, जाति से चमार हूं।'' इस साक्षी ने आगे कहा कि वह हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुहेल व मुस्तफा व गैर हाजिर अभियुक्तगण शन्नु उर्फ शाहनवाज, फरमान व शाहनवाज पुत्र अफजाल को अच्छी प्रकार जानता है। शाहनवाज पुत्र अफजाल उसके गांव का नही है। बाकी सब उसके गांव के हैं। शाहनवाज पुत्र अफजाल बढापुर का रहने वाला है तथा अभियुक्तगण का बहनोई है। सभी अभियुक्तगण मुस्लिम अन्सारी हैं। दिनांक 12–11–2019 को, जब वह मजदूरी करके अपनी मोटर साईकिल से अपने घर लौटकर आ रहा था, उसके भाई कपिल की दुकान के सामने फरमान के पैर में मोटर साईकिल का पहिया लग गया था। जिससे उनके बीच कहा सुनी हो गयी थी। गांव के व आसपास के लोगो ने समझौता करा दिया था। रात को लगभग 09 बजे उनके घर के बाहर काफी शोर हो रहा था। वह व उसके भाई कपिल बाहर आये तो इकट्ठा भीड में लाठी डन्डे व पत्थर चल रहे थे, जिससे उनके व आसपास के अन्य लोगो व प्रेमवती के चोटे आ गयी थी। गांव वालो ने तहरीर टाईप कराकर उस पर उसके हस्ताक्षर कराकर थाना धामपुर पर दी। जिस पर मुकदमा कायम कर विवेचना हुई थी। विवेचना में विवेचक ने उसके बयान लिये थे, जो उसने गांव वालो के कहने में दिये थे। वह बेहोश हो गया था। किसके लाठी डन्डे या पत्थर से उसके चोट लगी थी वह देख

नहीं पाया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 क–6 देखकर, सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर पहचान कर कहा कि यह वही तहरीर है जो गांव वालो ने उससे हस्ताक्षर कराकर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिनकी वह तस्दीक करता है। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। आगे गवाह ने कहा कि इसमे लिखी तहरीर गांव वालो ने पढकर नहीं सुनायी थी। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

7– **पी0डब्लू0–2, कपिल (चोटिल)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''मैं कक्षा 8 तक पढा लिखा हूं, जाति से चमार हूं। मैं हाजिर अदालत अभियुक्तगण मुस्तफा व गैर हाजिर फरमान, शाहनावाज पुत्र अफजाल, शाहनवाज पुत्र आसिफ व सुहेल को जानता पहचानता हूं। ये लोग मुसलमान हैं तथा हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। अंकुल मेरा सगा छोटा भाई है तथा प्रेमवती मेरी चचेरी बहन है।'' इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 12–11–2019 को वह अपने घर पर था। घर से दुकान करीब रात 09 बजे जा रहा था तो उसके भाई अंकुल के साथ कुछ लोग कहा सुनी कर रहे थे। काफी भीड थी। काफी शोर हो रहा था। वह भी अपने भाई को बचाने के लिए भीड में घुस गया। भीड में लोग एक दूसरे को लाठी व डन्डे मार रहे थे। उसके व मौके पर आयी प्रेमवती के भी एकदम चोट लग गयी थी। गांव वालो के कहने व बताने पर उसके भाई ने एक तहरीर थाना धामपुर पर दी थी। पुलिसवालो द्वारा उनका डाक्टरी मुआयना व ईलाज सरकारी अस्पताल धामपुर में कराया गया था। पूछताछ में उन्होंने पुलिस वालो को गावं वालो के कहने व बताने पर अभियुक्तगण के नाम बता दिये थे। जबकि वे मारने वालो को पहचान नहीं पाये थे। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

8– **पी0डब्लू0–3, प्रेमवती (चोटिल)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''अंकुल मेरे पडोस के चाचा, कपिल अंकुल का भाई, बाबूराम मेरे पिता हैं। इस साक्षी ने आगे कहा कि ''इन लोगो का रात 09 बजे अब से करीब 07 साल पहले, घर के पास खडे सरकारी नल पर झगडा हो गया था। शोर पर वह भी गयी थी। इकट्ठा भीड एक दूसरे को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर ईंट, पत्थरों से मारपीट कर रहे थे।

उसके भी चोटे आ गयी थी। पुलिस ने उसका ईलाज अन्य लोगो के साथ धामपुर सरकारी अस्पताल में कराया था, परन्तु अन्धेरा होने व अचानक हुए हमले के कारण वह मारने वालो को पहचान नहीं पायी थी न ही उसने अपने ऊपर हमला करने वालो के नाम सी0ओ0 साहब को बताये थे। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

9– अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार करने के कारण अभियोजन पक्ष ने औपचारिक साक्षियों को पृष्ठांकन दिनांकित 18–07–2026 के द्वारा परीक्षित कराने से इन्कार किया।

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0

10– अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज, सुहैल, फरमान व शाहनवाज के बयान अंकित किये गये, जिसमें उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपो से इन्कार किया और यह कथन किया कि उनके विरूद्ध रंजिश के कारण मुकदमा चला है तथा वे निर्दोष है। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

बहस एवं अभिलेख का परीक्षण

11– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री नबील अहमद एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शलभ शर्मा को सुना तथा अभिलेखों का परीक्षण किया।

12– विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा व उसके भाई व चचेरी बहन के साथ अपराध कारित करने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव करके लाठी डन्डो से सुसज्जित होकर बल्वा करते हुए जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी डन्डो से मारपीट करके उपहति कारित की, पथराव करके वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया, गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी। यद्यपि अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हैं, परन्तु पक्षद्रोही साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

13– अभियुक्तगण के अधिवक्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध साबित नहीं है, उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

निष्कर्ष

14– अभियुक्तगण पर अभियोग है कि दिनांक 12–11–2019 को समय 21:30 बजे, स्थान वादी का घर स्थित ग्राम मिलक पूरनपुर, अन्तर्गत थाना धामपुर, जिला बिजनौर में वादी मुकदमा अंकुल, उसके भाई कपिल व प्रेमवती के साथ अपराध कारित करने के उद्देश्य से लाठी डन्डो से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव करके बल्वा करते हुए जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर सामान्य आशय की पूर्ति हेतु वादी मुकदमा, उसके भाई कपिल व चचेरी बहन प्रेमवती को अनुसूचित जाति का जानते हुए लाठी डन्डो से मारपीट कर उपहति कारित की, पथराव करके वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया, गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी।

15– मुख्य अभियोग के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पी0डब्लू0–1 अंकुल कुमार, पी0डब्लू0–2 कपिल व पी0डब्लू0–3 प्रेमवती के साक्ष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि ये तीनों ही घटना में चोटिल हुए हैं। पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है एवं इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता हो।

16– पी0डब्लू0–2 कपिल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक को समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी पक्षद्रोही है एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा से उसके समर्थन में कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं हुआ।

17– पी0डब्लू0–3 प्रेमवती ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी भी पक्षद्रोही है और इससे की गयी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं हुआ, जो अभियोजन का समर्थन करता हो।

18– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 अंकुल कुमार, पी0डब्लू0–2 कपिल व पी0डब्लू0–3 प्रेमवती ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ किसी प्रकार की घटना कारित करने से इन्कार किया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्ता साबित नहीं होती है। जिस कारण अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

19– अभियोजन प्रपत्र प्राथमिकी प्रदर्श क–2, सामान्य दैनिकी प्रदर्श क–3, चिकित्सीय आख्या चुटैल कपिल प्रदर्श क–4, चिकित्सीय आख्या चुटैल अंकुल प्रदर्श क–5, चिकित्सीय आख्या चुटैल प्रेमवती प्रदर्श क–6, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र प्रदर्श क–8 की सत्यता को अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किया गया है, परन्तु विधिक रूप से किसी प्रकरण में अन्तर्निहित तथ्यों को औपचारिक साक्षियों के माध्यम से नहीं बल्कि तथ्य से संबंधित सुसंगत व विश्वसनीय साक्षियों के माध्यम से साबित किया जाना आवश्यक है। अभियोजन प्रपत्र मात्र सम्पुष्टिकारक साक्ष्य है और मात्र सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर जबकि तथ्यों के साक्षी पक्षद्रोही हों, अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, परन्तु अभियोजन अपने मामले को सिद्ध करने में असफल रहा है।

20– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज पुत्र मौ0 आकिल, सुहेल, फरमान व शाहनवाज पुत्र अफजाल उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

21– अभियुक्तगण मुस्तफा, शन्नू उर्फ शाहनवाज पुत्र मौ0 आकिल, सुहेल, फरमान व शाहनवाज पुत्र अफजाल को आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं

बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 437ए के अन्तर्गत बन्धपत्र दाखिल किये गये हैं। जो इस निर्णय की तिथि से अगले 06 माह तक प्रभावी होंगे।

22– पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 28–07–2026

(सुनील कुमार सिंह III)
विशेष न्यायाधीश, एससी / एसटी(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06076

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 28–07–2026

(सुनील कुमार सिंह III)
विशेष न्यायाधीश, एससी / एसटी(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06076